<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>31.07.2023</td><td>पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।
बहस सुनी गई।
वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 640/310 रकबा 3.0756 हैक्टेयर ग्राम फूलण तहसील समदडी में अवस्थित है। लट्ठा नक्शा में उक्त खसरे की तरमीम रकबा एवं कब्जाकाश्त के अनुसार नहीं होने से राजस्व प्रकरण जिसका दर्ज कमांक 8/16 था, प्रस्तुत किया, जिसमें अदालत ने तहसीलदार समदडी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश जारी किये थे किन्तु उन आदेशों की पालना में की गई तरमीम अशुद्ध ही रही, जिसमें उक्त विवादित खसरे के पड़ौसी खसरा नम्बर 639/310, 707/671, 596/512 एवं 661/660 की तरमीम भी लट्ठा नक्शा में अशुद्ध हो गयी। अतः प्रार्थीगण को उक्त समस्त खसरों की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करवाते हुए माफिक तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।
विप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुए उक्त खसरों की तरमीम दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।
हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–भू.अ/2023/1094 दिनांक 12.07.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम मौका स्थिति से भिन्न है, जिसमें एक पक्ष का कब्जासुदा स्थान दूसरे पक्ष के तरमीमसुदा क्षेत्र में आ रहा है। अतः अदालत विवाद की स्थिति में निराकरण हेतु माफिक कब्जा स्थिति तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझती है।
लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण के खसरा नंबर 640/310 रकबा 3.0756 हैक्टेयर, खसरा नंबर 639/310 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 707/671 रकबा 5.8418 हैक्टेयर, खसरा नंबर 596/512 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 661/660 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक खसरे के कुल रकबे में कमी बेशी नहीं किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।
आदेश सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:25:02 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा

नजरी नक्शा

मौजा - फुलण

खसरा संख्या = 640/310 तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित

परिशिष्ट 'ब'

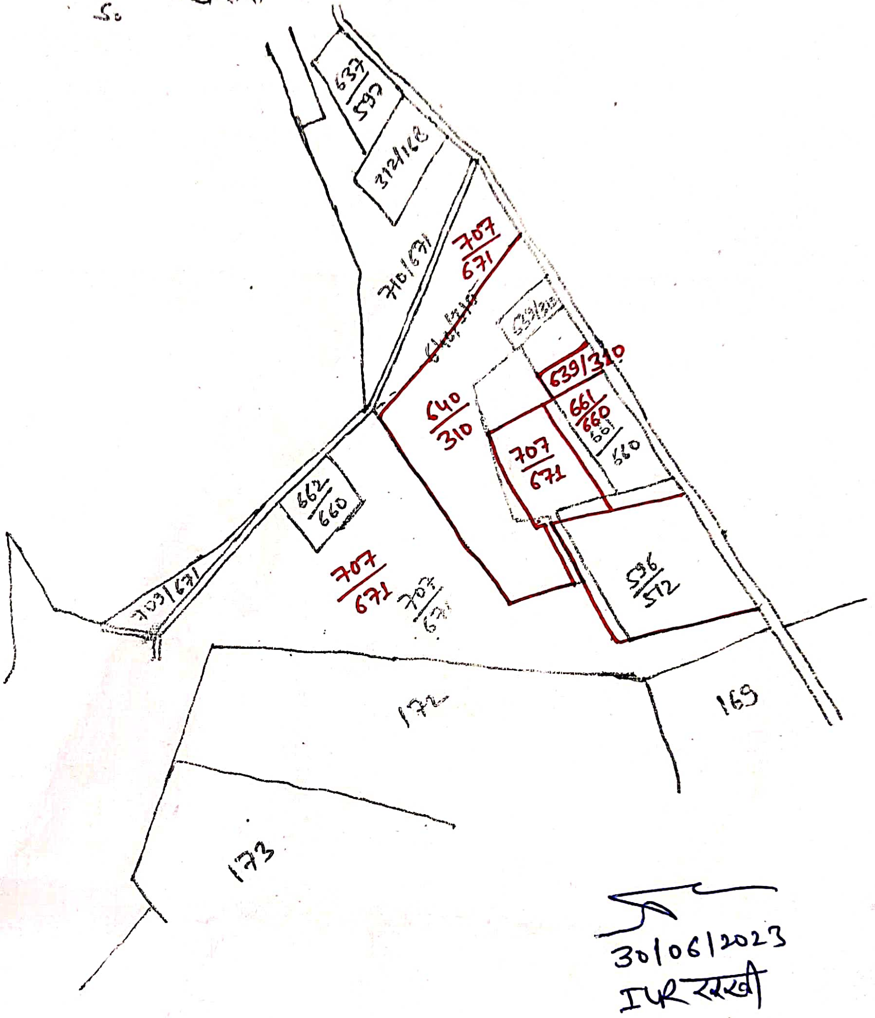

30/06/2023
IUR रखी

30/06/2023
पटवारी - खांवरड़ा

मानाराम

Ex court

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:25:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)